राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या –1860/2016/भरतपुर

सहायक आयुक्त,
वृत्त ए, भरतपुर .....अपीलार्थी
बनाम
मैसर्स श्री भगवती उद्योग,
ओल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया,भरतपुर. .....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या –2028/2016/भरतपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन भरतपुर .....अपीलार्थी
बनाम
मैसर्स आदित्य ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या –2030/2016/भरतपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर
बनाम
मैसर्स भगवती उद्योग,
पुराना औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

4. अपील संख्या –2035/2016/भरतपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन भरतपुर
बनाम
मैसर्स राकेश ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से
श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से

दिनांक : 11/05/2018

निर्णय

1. उपरोक्त चारों अपीलें राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 186, 118, 174, 145/सीएसटी/15–16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित किये गये आदेशों दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 व सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त वृत्त ए, भरतपुर/वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि के लिये वैट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया है।

निरन्तर.....2

2. इन सभी चारों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इन चारों अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	अपील संख्या	असत्यापित"C" Forms की राशि	कर निर्धारण वर्ष	अधिनियम की धारा	शास्ति
1.	186/CST/15–16	5,47,65,001/–	2007–08	U/s 9 of CST r/w 26, 55 & 61 of RVAT	21,90,600/–
2.	118/CST/15–16	3,35,98,655/–	2009–10	U/s 9 of CST r/w 25, 55 & 61 of RVAT	13,43,946/–
3.	174/CST/15–16	2,17,67,618/–	2007–08	U/s 9 of CST r/w 26, 55 & 61 of RVAT	8,70,704/–
4.	145/CST/15–16	5,79,25,900/–	2009–10	U/s 9 of CST r/w 25, 55 & 61 of RVAT	23,17,036/–

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी फर्म द्वारा वर्ष 2007–08 व 2009–10 की अवधि में किये गये अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र 'सी' के सन्दर्भ में कर निर्धारण अधिकारी प्रतिकरापवंचन, भरतपुर/सहायक आयुक्त वृत्त A, भरतपुर द्वारा जांच करवाई गई। जांच पर पाया गया कि "C" फॉर्म संबंधित क्रेता व्यापारियों द्वारा जारी नहीं किये गये हैं अतः ये घोषणा पत्र बोगस एवं असत्यापित पाये जाने परकर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन संव्यवहारों की बिक्री राशि पर अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया एवं साथ ही मिथ्या एवं कूटरचित "सी" फॉर्म प्रस्तुत करते हुए कर का अपवर्जन/अपवंचन करने पर वैट अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपण भी किया गया।

5. उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलेंप्रस्तुत की गईं, जिनके अपीलीय आदेश में आरोपित कर व ब्याज राशियों को यथावत रखा गया एंव शास्ति के बिन्दु पर अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि प्रश्नगत संव्यवहारों में प्रेषित माल घोषित क्रेता व्यवसायीगण द्वारा मंगवाया गया था अथवा नहीं; एवं उक्त माल उन तक पहुंचा या नहीं तथा कि संव्यवहारों में गन्तव्य स्थान सही घोषित किया गया है या नहीं, की जांच करने के पश्चात संव्यवहार बोगस पाये जाने पर ही धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जावे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि संव्यवहार यदि बोगस प्रमाणित ना हो तो जमा खर्च के आधार पर शास्ति के बिन्दु को ड्रॉप करने का आदेश पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

निरन्तर.....3

6. अपीलार्थी विभाग की ओर से उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उपायुक्त (अपील्स) ने धारा 61 की शास्ति के संबंध में प्रकरण जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो उचित नहीं है, लिहाजा प्रतिप्रेषण संबंधी उक्त आदेश को अपास्त कर शास्ति पुनः बहाल करने का निवेदन किया गया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत किये थे अतः उसे समुचित रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए कर निर्धारण आदेशों में आरोपित शास्ति को बहाल करते हुए इस संबंध में अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उनके द्वारा समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में किया हुआ है एवं किसी भी प्रकार के करापवंचन की उनकी मंशा नहीं थी। समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 720/2011/भरतपुर टाटा श्री भगवती ऑयल एवं अन्य, निर्णय दिनांक 25.06.2015 में आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि करते हुए शास्ति अपास्त की गई है। उन्होंने प्रत्यर्थीगण पर आरोपित शास्ति को अनुचित बतलाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार 23 वीएसटी 249 के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्ति को पूर्णतः अपास्त करते हुए अपीलीय आदेश में दिये गये प्रतिप्रेषण संबंधी निर्देशों को निरस्त करने की प्रार्थना की।

8. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत किये गये 'सी' फार्म्सकी सम्बन्धित राज्यों के कर निर्धारण अधिकारियों से जांच करवाये जाने पर ये असत्यापित पाये गये थे जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या व कूटरचित मानते हुए इन बिक्री व्यवहारों के संबंध में करवंचना मानते हुए सपठित आरवैट एक्ट की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की है। अपीलीय आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज की पुष्टि की गई है तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण जांच हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं।

निरन्तर.....4

9. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 720/2011/भरतपुर मैसर्स टाटा श्री भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अन्य नत्थीबद्ध अपीलों में दिये गये निर्णय दिनांक 25.06.2015 में ऐसे मामलों में विस्तृत विधि अभिनिर्धारित करते हुए कर एवं ब्याज आरोपण को तो उचित माना गया है परन्तु शास्ति आरोपण को अनुचित मानते हुए इसे अपास्त किया गया है। कर निर्धारण आदेशों तथा अपीलीय आदेशों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय इन दोनों प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है या कि उक्त निर्णय उनके परिज्ञान में नहीं था। अतः उक्त निर्णय में अभिनिर्धारित विधि के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अपास्त योग्य है एवं अपीलीय आदेश में शास्ति के संबंध में प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने संबंधी निर्देश भी अपास्त किये जाने योग्य हैं।

10. चूंकि प्रस्तुत प्रकरणों में व्यवसायी के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज पाये गये हैं। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम तमिलनाडु राज्य (23 VST 249) तथा राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 25.06.2015 के आलोक में शास्ति का आरोपण विधिक नहीं होने के कारण अपास्त की जाती है। साथ ही इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी आदेश को भी अपास्त किया जाता है।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।

11.5.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य